झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–860 वर्ष 2017

नागिया देवी, पत्नी–स्वर्गीय शंकर राम, निवासी ग्राम–सुरजा कर्म टोला आजाद बीघा, डाकघर–बिजौली एवं थाना–औरंगाबाद, जिला–औरंगाबाद, बिहार।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2000 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण) अपने प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद के माध्यम से।
2. सचिव, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माडा, धनबाद।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री तरूण कुमार सं0 1, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– मेसर्स भवेश कुमार और रवि कुमार, अधिवक्तागण

03/28.02.2017 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के पति को खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, धनबाद (संक्षेप में एम0ए0डी0ए0) में नियुक्त किया गया था, पुरूष सफाईकर्मी के रूप में सेवारत के दौरान

उनकी मृत्यु दिनांक 20.01.2008 को हो गई। याची की शिकायत है कि उसके स्वर्गीय पति के मृत्यु और सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि दिनांक 09.08.1999 से ए0सी0पी0 का बकाया, छठे वेतन पुनरीक्षण का बकाया, मुल वेतन में सम्मिलित डी0ए0, वेतन में वृद्धि, डी0ए0पी0एफ0 की पूरी राशि, जमा न किए गए पीएफ का बकाया, समूह बीमा सहित चक्रवृद्धि ब्याज, छुट्टी नकदीकरण, डी0ए0 उपदान का बकाया, क्षेत्रीय भत्ते का बकाया, अंतरिम राहत का बकाया और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के साथ ब्याज का भुगतान याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को नहीं किया गया है, हालांकि उन्होनें इस रिट याचिका के अनुलग्नक–2 श्रृंखला द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याची और उसके दिवंगत पति के अभ्यावेदनों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, इसलिए याची ने विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याची को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने का निर्देश दिया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याची की शिकायतों पर विचार कर सकता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि यह मामला याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के कुछ मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष नए अभ्यावेदन देने की अनुमति याचिकाकर्ता को देकर रिट

याचिका का निपटान किया जाता है, ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति होने पर, प्रत्यर्थी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 विधि के अनुसार इस पर विचार करेगा और अभिलेखों के उचित सत्यापन के बाद, उसके बाद 12 सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, जिसे याची को भी सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा लाभों के कारण कानूनी रूप से स्वीकार्य देय बकाया के हकदार हैं, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार सांविधिक ब्याज के साथ भी इनका संवितरण किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू है।

6. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)